न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1231–तीन/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 26–02–2014 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालीयर – प्रकरण कमांक 151/2012–13 अपील

ठाकुरलाल पुत्र तिलुआ
ग्राम पडौरा तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

डालचंद पुत्र जीवनलाल ग्राम प्रथला
तहसील व जिला पलवल, हरियाणा
हाल निवासी बेंहटा तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश -----अनावेदक

(श्री एस0के0अवस्थी अभिभाषक – आवेदक)
(श्री आर0एस0सेंगर अभिभाषक – अनावेदक)

आ दे श

(दिनांक २४।१।– 2016)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 151/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–02–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने राकेश पुत्र नवाव सिंह जाट निवासी ग्राम बेंहटा के विरूद्ध नायव तहसीलदार कोलारस

को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम बेंहटा स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 604 रकबा 0.740 हैक्टर एंव सर्वे नंबर 605 रकबा 0.840 हैक्टर , सर्वे नंबर 671 रकबा 1.62 हैक्टर में राकेश पुत्र नवाव सिंह का हिस्सा 6/7 है (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) जो मौके पर बटा हुआ है एंव शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी अंकित है। इस भूमि में उसने जुलाई 2009 में जुताई थी तथा सरसों की फसल बोई व काटी है। मौके पर आज भी कब्जा है इसलिये उसके कब्जे का इन्द्राज खसरे में किया जावे। नायव तहसीलदार कोलारस ने प्रकरण कमांक 5 अ-6-अ/09-10 पंजीबद्ध किया तथा भूमिस्वामी राकेश पुत्र नवाव सिंह जाट को सूचना पत्र जारी किया। इस पक्षकार के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 2-7-10 पारित किया एंव वादग्रस्त भूमि के खसरा वर्ष 2009-10 में आवेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के समक्ष अनावेदक व्दारा अपील करने पर प्रकरण कमांक 11/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-10-12 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 151/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनॉक 26-2-14 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा तहसील न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित कर प्रकरण संस्थित करने एंव दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि रिकार्डेड भूमिस्वामी के हिस्से की भूमि हिस्सा 6/7 को आवेदक ने हकाई-जुताई कर सरसों की फसल बोई एंव काटी । साक्ष्य से एंव जांच में कब्जा होना प्रमाणित होने पर नायव तहसीलदार ने कब्जा अंकित किया है एंव अनुविभागीय अधिकारी ने नायव तहसीलदार की कार्यवाही को सही माना है, परन्तु अपर आयुक्त ने गलत आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है। जबकि संहिता में हुये नवीनतम् सॅशोधन अनुसार अपीलीय न्यायालय को प्रकरण रिमान्ड करने के अधिकार नहीं हैं। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी एंव तहसील न्यायालय के आदेश को यथावत् रखने की मांग की।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदक ने दिनांक 1-6-10 को वादग्रस्त भूमि रिकार्डेड भूमिस्वामी राकेश पुत्र नवाव सिंह से क्रय की है एंव आवेदक ने तहसील न्यायालय कब्जा प्रविष्टि का दावा राकेश सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जबकि राकेश सिंह का हित वादग्रस्त भूमि से 1-6-10 को समाप्त हो चुका था एंव मूल भूमिस्वामी अनावेदक था जिसे आवेदक ने पक्षकार नहीं बनाया है। राकेशसिंह के विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही कर नायव तहसीलदार ने आदेश पारित किया है इस प्रकार केता अनावेदक के विरूद्ध तहसील न्यायालय में पक्षकार बनाये बिना कार्यवाही की गई है। अनुविभागीय अधिकारी, कोलारस ने जानबूझकर नियमों की उपेक्षा कर अपील निरस्त की है क्योंकि संहिता की धारा115 अथवा 116 के अधीन नवीन कब्जे की

प्रविष्टि नहीं की जा सकती।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित नायव तहसीलदार कोलारस ने प्रकरण कमांक 5 अ-6-अ/09-10 में पारित आदेश दिनांक 2-7-10 से वादग्रस्त भूमि के खसरा वर्ष 2009-10 में आवेदक का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये, जबकि किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे की नवीन प्रविष्टि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 115 अथवा 116 के अंतर्गत नहीं की जा सकती, अपितु इन धाराओं के अधीन शासकीय अभिलेख में अपलेखन से अथवा भूलवश हो गई त्रृटियॉ सुधारी जाती हैं। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 11-10-12 में विवादास्पद भूमि पर कब्जा दर्ज करने के सम्बन्ध में भूमि के विक्रेता मुख्त्यारआम के कथन तथा शपथपत्र के आधार पर अन्य व्यक्ति का भूमि पर कब्जा दर्ज करने वावत् निर्णय लिया है परन्तु इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तविक क्रेता को सूचना दिये बिना विक्रीत की गई भूमि पर संहिता की किस धारा के अंर्तगत इस प्रकार का कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया जा सकता है ? इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि एक ओर मुख्त्याआम की हैसियत से भूमि विक्रय कर रहा है परन्तु दूसरी ओर उसी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा होना भी बता रहा है उसके कथन भी विरोधाभाषी तथा संदिग्ध हैं। भूमि दिनांक 1-6-10 को विक्रय की गई तथा कब्जा लिखने का आवेदक ठाकुरलाल का आवेदन दिनांक-रहित है। दिनांक 28-4-10 को कार्यवाही नायव तहसीलदार ने प्रारंभ की है। दिनांक 5-6-10 को विक्रेता भूमिस्वामी राकेश के विरूद्व नोटिस की चस्पा कर तामीली के पश्चात् एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। सर्वे कमांक 671 के 1.62 है. में राकेश के अतिरिक्त अन्य भूमिस्वामी दर्ज थे भूमि का बटा नंबर नहीं था फिर भी राकेश

के अतिरिक्त अन्य भूमिस्वामियों को भी कब्जा दर्ज करने की सूचना नहीं दी गई। अपील में जब भूमि क्रय करने का प्रमाण अपीलार्थी व्दारा दिया गया था उस समय भी अनुविभागीय अधिकारी को इस तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिए था कि भूमि विक्रय किसी एक पक्षकार को की गई तथा कब्जा किसी और का लिखा गया तथा कब्जा लिखने का आदेश देने के पूर्व ही भूमि विक्रय कर दी गई थी। इस प्रकार नायव तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारी व्दारा दिया गया आदेश अवैधानिक है ।

6/ अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 26-2-14 में अनुविभागीय अधिकारी तथा तहसील न्यायालय व्दारा किये गये आदेश की पूर्ण विवेचना की तथा संहिता की धारा 114, 115, 166 की सही व्याख्या करते हुये धारा 115, 116 के अंतर्गत कब्जा की नई प्रवष्टि नहीं की जा सकती तथा क्रेता व्दारा जर्य रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रश्नाधीन भूमि क्रय की गई। अतएव वह प्रकरण में आवश्यक हितबद्ध पक्षकार था , उसे सुनवाई का पूर्ण अधिकार है। क्रेता को विचारण न्यायालय में एंव अपील न्यायालय में पक्षकार बनाना चाहिये था। अपर आयुक्त का उक्त निष्कर्ष दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों के अभिलेखों के परीक्षण से उचित है तथा उक्त निष्कर्षो के आधार पर अपील का स्वीकार किया जाना तथा अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के आदेश दिनांक 11-10-12 को तथा नायव तहसीलदार कोलारस के आदेश दिनांक 2-7-10 को निरस्त करने का निर्णय लिया जाना उचित है परन्तु इसी आदेश के अंतिम निष्कर्ष में प्रकरण तहसील न्यायालय को वापिस करते हुये पुनः संस्थित करने एंव कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने में उनसे भूल हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में हुये सॅशोधन माह नवम्बर 2011 के अनुसार अपीलीय न्यायालय को अपील प्रकरण का अंतिम विनिश्य करते समय या तो स्वीकार

करना है अथवा अस्वीकार करना है। अपर आयुक्त ने अपील स्वीकार की है अतः अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश दिनांक 26-2-14 का उक्त भाग नियमों की परिधि के वाहर होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 151/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-02-2014 से अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के आदेश दिनांक 11-10-12 को तथा नायव तहसीलदार कोलारस के आदेश दिनांक 2-7-10 को निरस्त करने सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखा जाता है , परन्तु प्रकरण के निराकरण में विलम्ब तथा अन्य जटिलतायें न हों इसलिये तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह प्रकरण में समस्त वैधानिक बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये उभय पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुये गुणदोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर